



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

King George's Medical University, U.P., Lucknow.

Website: www.kgmu.org

Phone: +91-0522-2257540, Fax: +91-0522-2257539

कुलसचिव
Registrar

Ref. No.17...../B-2022

Date 19-04-2022

कार्यालय ज्ञाप

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के शिक्षकों की विभागीय पारस्परिक ज्येष्ठता सूची तैयार करने की दिशा में कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय के नोटिस सं० 290/बी-2020 दिनांक 04.12.2020 द्वारा मा० कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त प्रो० विनीत शर्मा, प्रति-कुलपति, के०जी०एम०यू०, लखनऊ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय ज्येष्ठता समिति (Seniority Committee) का गठन किया गया था।

उक्त समिति ने शिक्षकों की सेवा सम्बंधी अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करके विभागीय अनन्तिम ज्येष्ठता के०जी०एम०यू० की प्रथम परिनियामावली-2011 की धारा 11.10(1)(क)(ख) में दी गयी व्यवस्था के आधार पर सम्बंधित शिक्षकों के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जन्मतिथि एवं चयन समिति (Selection Committee) द्वारा निर्धारित मेरिट लिस्ट में रखे गये क्रम के अनुसार एवं शासनादेश सं० 13/2/91-टी०सी०-का-1-1991 दिनांक 20.03.1991 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागवार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है तथा आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग एवं रेडियोलॉजिस्ट विभाग को छोड़कर शेष विभागों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप सं० 192/बी-2021 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा जारी की गयी थी। इस चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा नामित अधिवक्ताओं से प्राप्त विधिक राय के क्रम में आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग के प्रो० संतोष कुमार एवं प्रो० आशीष कुमार तथा रेडियोलॉजिस्ट विभाग के प्रो० मनोज कुमार एवं प्रो० अनित परिहार के मध्य ज्येष्ठता सम्बंधी प्रकरण पर ज्येष्ठता समिति की बैठक दिनांक 08.04.2022 के क्रम में तैयार कार्यवृत्त में सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के अनुसार आर्थोपेडिक सर्जरी एवं रेडियोलॉजिस्ट विभाग के समस्त शिक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

यह सूची कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तैयार की गयी है, जिसके सम्बंध में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में शामिल शिक्षकगण से प्राप्त होने वाली यदि कोई आपत्ति हो तो, उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधन किया जाएगा और इसके उपरान्त ज्येष्ठता समिति के परीक्षण एवं विश्वविद्यालय की मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त विभागीय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि 15 दिवस के अन्दर संलग्न आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग एवं रेडियोलॉजिस्ट विभाग की विभागीय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रविष्टि के सम्बंध में यदि कोई आपत्ति हो तो, वह शिक्षक अपना लिखित प्रत्यावेदन अभिलेखीय साक्ष्यों सहित विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराने कर कष्ट करें। यदि निर्धारित अवधि तक किसी भी शिक्षक द्वारा इस सम्बंध में कोई आपत्ति/सूचना नहीं प्रेषित की जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि इस सम्बंध में संलग्न विभागीय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा इसे अनन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव,
के०जी०एम०यू० उ०प्र०
लखनऊ।

संख्या: 781 /बी-2021 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
2. अधिष्ठाता, चिकित्सा संकाय, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
3. विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग एवं रेडियोलॉजिस्ट विभाग, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त शिक्षक, आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग एवं रेडियोलॉजिस्ट विभाग, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ को उनके विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
5. डा० रिचा खन्ना, सदस्य सचिव, आई०टी० सेल, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विभागीय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को विश्वविद्यालय की वेबसाइट (Website) पर upload करते हुये प्रकाशित कराने की कार्यवाही सम्पादित करने का कष्ट करें।
6. मा० कुलपति जी के निजी सचिव को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव,
के०जी०एम०यू० उ०प्र०
लखनऊ।